

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी थाणा व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बटेरी पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 38 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	बटेरी	38	मोहन सिंह पि अन्ना सिंह	मोहन सिंह उर्फ नेम सिंह पि अन्ना सिंह व सहखानेदार के लायब सिर्फ सिंह, पी. अन्ना सिंह का नाम जोड़ जाने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी)

दिनांक:- 21/12/21

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 19

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

PP19/2021

2021/708

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी)
उपख

